



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112023-249856
CG-DL-E-04112023-249856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2023/कार्तिक 10, 1945

No. 634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023/KARTIKA 10, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 814(अ).—पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 और धारा 29 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे का प्रस्ताव, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए, एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (विपणन और तेल रिफाइनरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जा सकता है या इसे js.mkt-png@gov.in ईमेल पर भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 में,-

(1) नियम 2 में, उप नियम (1) में,-

(क) खंड (xiv), के बाद निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा।

“(xivक) “भारी मशीनरी” से तात्पर्य हैवी ड्यूटी मशीनरी, निर्माण कार्य अथवा कृषि कार्य अथवा विशुद्धतः राजमार्ग के अलावा निर्माण कार्य करने के लिए विशेष रूप से रूपांकित अथवा सड़क नेटवर्क के अलावा परिसर, कारखाना, पत्तन अथवा खान के भीतर उपयोग हेतु रूपांकित और अपनाए गए ऐसे लिफ्टिंग उपस्कर वाहन से है जो अपनी ऊर्जा से सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा के लिए सज्जित नहीं हो।

(xivख) “भारी वाहन” का अर्थ कृषि, खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यों के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ डिजाइन किए गए वाहन, “चालू अथवा बंद” या “चालू और बंद” राजमार्ग क्षमताओं के साथ संशोधित और निर्मित और एक गैर-परिवहन, गैर-माल या गैर-यात्री वाहन है;”

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, “भारी वाहन” में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित ट्रैक्टर शामिल नहीं है।

(ख) खंड (xvi) के बाद निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा;

“(xviक) “आईएसओ टैंक कंटेनर” का अर्थ एक पेट्रोलियम फ्रेट कंटेनर है, जो आईएसओ टैंक कंटेनर ढांचे पर लगाया गया है, जो ट्विस्टर लॉक द्वारा सुरक्षित है, जो तरल पेट्रोलियम की ढुलाई के लिए उपयुक्त है, जिसे सड़क मार्ग, रेल अथवा समुद्र, जिसमें परिवहन के इन रूपों के बीच आदान-प्रदान शामिल है, से परिवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण अथवा दबाव निर्वहन द्वारा लोड या अनलोड किया जा सकता है और जो मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण, अंकन के अनुरूप है;

“(xviख) “आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क” का अर्थ है टैंक माउंटिंग, अंतिम संरचना और सभी भार वहन करने वाले तत्व जो कार्गो रखने के प्रयोजनों के लिए मौजूद नहीं हैं, जो समग्र रूप से टैंक कंटेनर को उठाने, संभालने, सुरक्षित करने और परिवहन से उत्पन्न होने वाली स्थैतिक और गतिशील शक्तियों को संचारित करते हैं और मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण के अनुरूप हैं;”

(ग) खंड (xxiv) में, शब्द “उद्देश्य” के बाद, शब्द “चौथी अनुसूची में परिभाषित सर्विस स्टेशन के खतरनाक क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थापित गैर-ईंधन सुविधाएं भी शामिल हैं;” अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) खंड (xxvi) में, शब्द “पेट्रोलियम” के बाद, “आईएसओ टैंक कंटेनर सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ.) खंड (xxxiii) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxiii) “तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए)” का अर्थ समय-समय पर संशोधित खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना खतरों (एमएएच) परिसर की सुरक्षा ऑडिट सहित पेट्रोलियम नियमों के तहत परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त एक पेशेवर संगठन और सक्षम व्यक्तियों के लिए लागू योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति;

(2) नियम 4 में उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः;

“(4) इन नियमों में कुछ भी अनुसंधान और विकास के लिए पेट्रोलियम युक्त कंटेनरों के आयात के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते इनकी पैकिंग समय-समय पर यथा-संशोधित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) के खतरनाक सामान विनियमनों के अनुरूप हो।”;

(3) नियम 8 में, उप नियम (1) में शब्द “इस प्रकार मरम्मत किए जाने वाले” “अथवा टीपीआईए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) नियम 13 में, -

(क) उप नियम (1) में “मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पक्ष में देय, नागपुर में देय अथवा ई-भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा,” शब्दों को “ई-भुगतान के माध्यम से अथवा गैर कर प्राप्ति पोर्टल माध्यम से” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(5) नियम 14 के बाद निम्नलिखित नियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:

“14(क) आईएसओ टैंक कंटेनरों के आयात और परिवहन पर प्रतिबंध- (1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुमति के बगैर पेट्रोलियम से भरे हुए अथवा भरे जाने के लिए किसी भी आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा-

(क) फॉर्म VII(क) में आवेदन

(ख) आईएसओ टैंक कंटेनर की पूरी सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता वाले फॉर्म XV में जारी वैध लाइसेंस की एक प्रति;

(ग) निर्माता का निरीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट और डिजाइन चित्र की दो प्रतियां जिसमें डिजाइन विवरण, टैंक की पानी की क्षमता, इसकी फिटिंग और आईएसओ टैंक कंटेनर के निर्माण की सामग्री के विनिर्देशों के विवरण दिखाए गए हैं जो मूल देश की सक्षम एजेंसी द्वारा विधिवत समर्थित हैं;

(घ) मूल देश की सक्षम एजेंसी द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाण पत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाण पत्र (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और जांच की एक प्रति;

(ङ.) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए माउंटिंग ड्राइंग की तीन प्रतियां

(च) आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग स्थान तक आईएसओ टैंक कंटेनर की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया

(छ) अनलोडिंग के बाद आईएसओ टैंक कंटेनर की वापसी या स्थायी आधार पर भारत में उसके प्रतिधारण की अनुमानित तारीख के लिए स्व-घोषणा

(ज) पहली अनुसूची के भाग ग में निर्दिष्ट जांच शुल्क।

(3) उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के बाद, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिकतम तीन वर्षों के लिए वैध आयात अनुमति प्रदान करेगा।

(6) नियम 19 में,-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (क) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:

"(ग) आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के मामले में, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियम 14 (क) के तहत जारी आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात अनुमति";

(7) अध्याय II में, भाग III के बाद निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा नामतः:

"भाग IV"

वायु मार्ग द्वारा आयात

27(क) वायु मार्ग से आयात पर प्रतिबंध: (1) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत हवाई अड्डों को छोड़कर वायु मार्ग से कोई पेट्रोलियम आयात नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के नियमों या नागरिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा जिसकी अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का आयात वायु मार्ग से नहीं किया जाएगा।

(3) पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेंट पेट्रोलियम को हवाई अड्डे में लाने से पहले हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी और सीमा शुल्क आयुक्त को यथा निर्धारित आयात करने के इरादे से पेट्रोलियम का पूरा विवरण देते हुए घोषणा करेगा।

(4) आयातित पेट्रोलियम की सीधी सुपुर्दगी लेने और उसे हवाई अड्डे से हटाने के लिए आयातक द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी।

27(ख) वायु मार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने से पहले घोषणा करनी होगी और प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्रस्तुत होगा- वायु मार्ग से पेट्रोलियम आयात करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सीमा शुल्क आयुक्त निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा: -

(क) फॉर्म I में एक घोषणा जो उसके या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हो;

(ख) उसके या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म II में भंडारण स्थल का प्रमाण पत्र;

(ग) ऐसे पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए रखे गए लाइसेंस की एक अधि-प्रमाणित प्रति;

(घ) नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैंडिंग परमिट और;

(ङ.) वायु मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित फ्लाइट ऑपरेटर से एक अनुमति पत्र;

बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के तहत छूट प्राप्त पेट्रोलियम के आयात पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि अधिनियम की धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मात्रा में थोक में पेट्रोलियम श्रेणी ग के आयात के लिए खंड (ग) के तहत लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

27(ग) पेट्रोलियम की अनलोडिंग के लिए सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति - (1) सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति के बिना कोई भी पेट्रोलियम अनलोड नहीं किया जाएगा।

(2) यदि सीमा शुल्क आयुक्त, निम्नलिखित प्राप्त करने के बाद: -

(क) पेट्रोलियम संबंधी जांच अधिकारी की रिपोर्ट;

(ख) फॉर्म II में प्रमाण पत्र, यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित है;

(ग) नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैंडिंग परमिट यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) वायु मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित फ्लाइट ऑपरेटर से अनुमति पत्र

(ड.) लाइसेंस, यदि नियम 27(बी) द्वारा आवश्यक हो; और ऐसी अतिरिक्त पूछताछ करने के बाद जो वह आवश्यक समझे तथा संतुष्ट हो जाए कि पेट्रोलियम को वैध रूप से आयात किया जा सकता है और इसके लिए उपयुक्त स्थान है, तो वह इसे उतारने की अनुमति देगा;

(3) यदि सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि आयातित किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का भारत में भंडारण करने का इरादा नहीं है, अपितु अनलोडिंग के तुरंत बाद भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भेजा जाना है, तो वह नियम 27 (ख) की अपेक्षाओं को छोड़ सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट कर सकता है, उसके द्वारा लिखित आदेश परमिट द्वारा ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद को उस स्थान पर तत्काल भेजने के उद्देश्य से अनलोड किया जाना चाहिए।

(4) इस नियम में कुछ भी अस्थायी तौर पर लागू किसी अन्य कानून या नियम के तहत पेट्रोलियम को रोके रखने की सीमा शुल्क आयुक्त की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

(8) नियम 32 में,-

(क) शब्द "पोत" के बाद, शब्द "आईएसओ टैंक कंटेनर" अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, "मुख्य नियंत्रक" शब्दों के बाद शब्द "अथवा नियंत्रक" अंतः स्थापित किया जाएगा।

(9) नियम 70 में, उप-नियम (1) में, खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः -

"वशर्ते कि इस नियम के खंड (ii) और (iii) में कुछ भी समय-समय पर सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट बीएस-IV या उन्नत इंजन वाले वाहन पर लागू नहीं होगा;"

(10) नियम 75 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "लाइसेंस" शब्द के बाद, शब्द "या अनुमति" अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(3) आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से पेट्रोलियम श्रेणी क अथवा ख के परिवहन के लिए मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसी अनुमति मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी;

(4) (क) उप-नियम (3) के तहत अनुमति चाहने वाले व्यक्ति को मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा: -

(i) फॉर्म VII क में आवेदन,

(ii) पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट जांच शुल्क,

(ख) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक उप-नियम (क) के तहत दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद तथा ऐसी और पूछताछ, जिसे वह आवश्यक समझता है, करने के बाद संतुष्ट होने पर कि वाहन इन नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है, वह आवेदक को विधिवत पृष्ठांकित ड्राइंग की एक प्रति के साथ आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम श्रेणी क या ख के परिवहन के लिए अनुमति जारी करेगा।

(11) नियम 76 में, उप-नियम (3) में, शब्दों और अंकों "(1934 का 22)" के बाद, "और इन नियमों के फॉर्म XIX के तहत लाइसेंस प्राप्त वाहनों द्वारा भारी वाहनों/भारी मशीनरी/अचल उपकरणों में साइट पर ईंधन भरना" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(12) नियम 77 में, “पुनः जांच की गई” शब्दों के बाद, “एक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(13) नियम 85 में, -

(क) उप-नियम (1) में, “सक्षम जिम्मेदार व्यक्ति” शब्दों को, “सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(5) आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क और/ अथवा आईएसओ टैंक कंटेनर की प्रत्येक मरम्मत के बाद फैब्रिकेशन कोड में निर्धारित तरीके से जांच की जाएगी।

(14) नियम 89 में, उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(3) उप-नियम (2) के तहत ड्राइंग और शुल्क प्राप्त होने पर और ऐसी यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद मुख्य नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट हो, तो प्रस्तावित पाइपलाइन को उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अनुमोदित करेगा”;

(15) नियम 90 में, उप-नियम (1) में, शब्द “इस्पात” के बाद “अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त सामग्री” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(16) नियम 93 में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(2क) पाइपलाइन की हाइड्रोस्टैटिक जांच एक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए द्वारा की जाएगी।

(2ख) सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए उप-नियम (1) के तहत यथा-अपेक्षित जांच करेगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा; इस प्रकार जारी किया गया प्रमाण पत्र मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा।”;

(17) नियम 98 में, “काटने या फिर से वेल्डिंग करने वाले” शब्दों को, “या हॉट वर्क” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(18) नियम 106 में,-

(क) उप नियम (1) में, “60079-II” अंकों के बाद “, आईएस/आईईसी 60079-26” शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(i) आईएस/आईईसी 60079-1, आईएस/आईईसी 60079-2, आईएस/आईईसी 60079-5, आईएस/आईईसी 60079- 6, आईएस/आईईसी 60079-7, आईएस/आईईसी 60079-11, आईएस/आईईसी 60079-18 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष मानक के अनुरूप फ्लेमप्रूफ अथवा प्रेशराइज्ड टाइप अथवा पाउडर भरा अथवा तेल में डूबा हुआ अथवा बढी हुई सुरक्षा या आंतरिक रूप से सुरक्षित या एनकैप्सुलेटेड उपकरण, अथवा”;

(ग) उपनियम (3) में खंड (i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(i) आईएस/आईईसी 60079-15 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित एक टाइप के अनुरूप गैर-स्पाकिंग उपकरण; अथवा”;

(घ) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(4) एक्स-इलेक्ट्रीकल एपरेटर्स का चयन आईएस 16724:2018/आईईसी60079-14 अथवा आईईसी 60079-14 अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किसी अन्य समकक्ष मानक में यथा-परिभाषित उपकरण सुरक्षा स्तर (ईपीएल) के अनुसार होगा।”;

(19) नियम 114 में, शब्द "व्यक्ति" के बाद, " जो विद्युत इंजीनियर है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(20) नियम 117 में, उप-नियम (4) में, खंड (ii) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ii) नई/आगामी संस्थापना के अन्य क्षेत्रों पर प्रदान की जाने वाली अग्निशमन सुविधा का पैमाना ओआईएसडी मानक 244 में दी गई आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मुख्य नियंत्रक द्वारा पहले से अनुमोदित संस्थापनाएं ओआईएसडी मानक 117 द्वारा अभिशासित होंगी।"

(21) नियम 120 में उप-खंड (5) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा; नामतः-

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जल निकासी के संबंध में यथा-लागू मानकों का पालन किया जाएगा।”

(22) नियम 122 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -"स्पष्टीकरण: मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक पेट्रोलियम के भंडारण और वितरण से सीधे जुड़े नहीं अन्य उद्देश्यों के लिए सर्विस स्टेशन के उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिकृत है।"

(23) नियम 124 में, उप-नियम (1) में, शब्द और अंक "एपीआई:650" के बाद, शब्द और अंक "अथवा एएसटीएम डी3299-18, बीएस ईएन 13121-3, यूएल1316" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(24) नियम 126 में, -

(क) उप-नियम (1) में, “सक्षम व्यक्ति” शब्दों के बाद, “अथवा टीपीआईए” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) में, “सक्षम व्यक्ति” शब्दों के बाद, “अथवा टीपीआईए” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में, टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र के प्रारूप को निम्नलिखित प्रारूप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,-

टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र का प्रारूप

[दिखें नियम 126]

टैंक की पहचान संख्या	व्यास (मीटर में)	ऊँचाई या लम्बाई (मीटर में)	निर्माण मानक	टैंक का प्रकार	क्षमता	श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद	परीक्षण की तिथि

उपर्युक्त टैंकों के सम्बन्ध में, अनुज्ञप्ति संख्या के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री (संस्थापन/सर्विस स्टेशन, जैसी भी स्थिति हो, के अधिभोगी का पूरा नाम) ने (स्थान, थाने, जिला, राज्य का नाम) पर संस्थापन/सर्विस स्टेशन(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) के भीतर संस्थापित किए हैं।

(अनुज्ञप्ति को संशोधित किए जाने अथवा टैंक की मरम्मत की दशा में भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 126 के अनुसरण में मैंने, उपर्युक्त वर्णित टैंकों का उनके संस्थापना एवं अंतिम रूप से सुरक्षित/मरम्मत किए जाने के पश्चात् अभिकल्प कूट में यथाविनिर्दिष्ट जल दबाव के माध्यम से परीक्षण किया है और इन्हें च्यवण-मुक्त एवं पेट्रोलियम भंडारण के लिए उपयुक्त पाया है। (जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें)

मैं/हम उद्घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए विवरणों की जाँच कर ली है और ये सही हैं। मैं/हम, परिसर में उपस्थित था/थे तथा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों एवं तत्सम्बन्धी बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियमों के अनुसरण में ऊपर दिए गए विवरणों के अनुरूप उपर्युक्त टैंकों का परीक्षण किया है।

तिथि

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम व्यक्ति
या टीपीआईए का पूर्ण हस्ताक्षर
उसकी मान्यताप्राप्त अर्हता.....
उसका पूरा नाम और पता.....

(25) नियम 130 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1ख) के बाद, सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के प्रारूप में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (2) के खण्ड (i) में -

(i) "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"(ग) पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी और प्रदर्शन रिपोर्ट एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता-प्राप्त पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, जब तक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

(घ) उप-नियम (2) में, खंड (ii) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद, "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(26) नियम 144 में :-

(क) उप- नियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"(6क) उप-नियम (1) के अंतर्गत गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अंतर्गत प्रपत्र "छ" में अनुज्ञप्ति प्राप्त सीएनजी स्टेशन का एक हिस्सा बनाने वाले प्रपत्र XIV में अनुज्ञप्ति या प्रपत्र 'एलएस-1 ख' में अनुज्ञप्ति प्राप्त ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन या स्थिर और मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) नियम, 2016 के अंतर्गत "एलएस-1ग" प्रपत्र में एलएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) उप-नियम (7) में, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"प्रारूप"
अनापत्ति प्रमाण पत्र
[नियम 144 देखें]

संख्या.....

दिनांक.....

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/मैसर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या दिनांक..... के संदर्भ में और पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के अनुसरण में श्री/श्रीमती/मैसर्स निवासी/पताको उनके परिसर, सर्वेक्षण संख्या/गाटा नंबर/खसरा नंबर प्लॉट नंबर..... ग्राम तालुका/तहसील जिला राज्य , जैसा कि स्थल योजना में दर्शित किया है और इसके साथ संलग्न है, में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(1) इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को निर्गत करते समय निम्नलिखित विवरणों पर विचार किया गया है, कि -

(क) राजस्व विभाग से टिप्पणी कि उपर्युक्त स्थल आवेदक के वैध कब्जे में है और भू-स्वामी या पट्टा धारक से इन नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए परिसर के विकास करने का प्राधिकार प्राप्त है;

(ख) यातायात संबंधी भीड़भाड़ और यातायात पर प्रभाव के संबंध में पुलिस विभाग की टिप्पणियाँ;

(ग) स्कूलों, अस्पतालों सहित स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रस्ताव की अनुरूपता और शमन उपाय, यदि कोई हों, के संबंध में संबंधित नगर निगम/ग्राम पंचायत/स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ;

(घ) सड़क सुरक्षा, सड़क संरक्षण और सड़क तक पहुँच सुनिश्चित करने के संबंध में एनएचएआई/पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की टिप्पणियाँ।

(ङ.) आपातकालीन स्थिति में फायर टेंडरों के लिए साइट तक पहुँच और आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयारियों के संबंध में अग्निशमन विभाग की टिप्पणियाँ।

अपनी सरकारी मुहर के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जिला प्राधिकारी (ऐसे नगर जहाँ एक पुलिस आयुक्त, आयुक्त या एक पुलिस उपायुक्त और किसी अन्य स्थान के लिए जिला मजिस्ट्रेट) के हस्ताक्षर

टिप्पण:- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर विचार करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को उसके निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकार करेगा।"

(27) नियम 146 के उप-नियम (2) में खण्ड (ii) को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(ii) प्रस्तावित परिवर्तन की जाँच के लिए पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट शुल्क।"

(28) नियम 200 में, -

(क) उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, "फैक्स" शब्द के बाद, "या ईमेल या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "संचार" शब्द के बाद, "बशर्ते कि मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा ऐसा दौरा ऐसी दुर्घटना की सूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(29) पहली अनुसूची में:-

(क) भाग ख में, सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए संदेय शुल्क: -

(i) क्रम संख्या 5 में, "नियम के अंतर्गत" शब्दों के बाद, "8," अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 6 में, "नियम के अंतर्गत" शब्दों के बाद, "8," अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(ख) भाग ग के लिए, अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा अन्य शुल्क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"भाग ग"

लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क

क्रम संख्या	मर्दे	शुल्क (रुपए)	नियम
1	पेट्रोलियम श्रेणी क या श्रेणी ख के लिए कंटेनर के अनुमोदन के लिए	5000	4(2)
1 क	आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात स्वीकृति	5000	14 (क)
2	बंदरगाह जिस पर पेट्रोलियम आयात किया जा सकता है	10000	16(4)(घ)
3	किसी भी स्थान पर किसी भी जहाज/बार्ज से थोक पेट्रोलियम की उतराई और लदवाई	6000	44(2)(घ)
4	(i) टैंक वाहन या ईंधन भरने वाले या सेफ्टी फिटिंग फैब्रिकेशन शॉप की स्वीकृति (ii) तीन साल के लिए फैब्रिकेशन शॉप का नवीनीकरण (iii) टैंक माउंटिंग ड्रॉइंग का अनुमोदन (iv) टैंक वाहन या ईंधन भरने वाले की सेफ्टी फिटिंग के डिजाइन का अनुमोदन	1500 1500 1000 2000	63(2)
4 क	आईएसओ टैंक कंटेनर के परिवहन की अनुमति	5000	75(3)
5	पाइपलाइन के डिजाइन और रूट की स्वीकृति	5000	89(2)(ii)
6	पाइपलाइन में परिवर्धन और परिवर्तन	2000	97(2)(ख)
7	खतरनाक क्षेत्र में उपयोग के लिए वैद्युत उपकरण	2000	106(4)
8	(i) सक्षम व्यक्ति या टीपीआई की पहचान (ii) सक्षम व्यक्ति या टीपीआई की मान्यता का तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण	5000 3000	130(2)(i)
9	परिसर की विशिष्टताओं और योजनाओं का पूर्वानुमोदन	2000	131(1)(ख)
10	पेट्रोलियम श्रेणी 'ग' के भंडारण की पूर्व रिपोर्ट के लिए जाँच शुल्क	2000	140(ii)
11	परिवर्धन और परिवर्तन के लिए पूर्व स्वीकृति	2000	146 (2)(ii)
12	अनुज्ञप्ति का संशोधन	2000	147(2)
13	लाइसेंस का हस्तांतरण	2000	156(2)(iv)
14	मूल लाइसेंस के समाप्त न हुए भाग के लिए नया लाइसेंस	1000	157(3)
15	लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति	1000	158
16	लाइसेंस की अधिप्रमाणित प्रति	500	159(2)(क)
17	रिफाइनरी का अनुमोदन	15000	162(3)(ii)
18	रिफाइनरी में संशोधन	5000	164(2) (ii)
19	प्रपत्र VI में जांच के प्रमाणपत्र	2000	195(2)
20	निम्नलिखित की तुलना और निरीक्षण हेतु शुल्क -	1000	196

	(1) परीक्षण उपकरण (2) मानक परीक्षण उपकरणों के साथ निजी स्वामित्व वाले परीक्षण उपकरणों की तुलना करना निम्न प्रकार से होगा:		
	परीक्षण उपकरण	1500	
	बैरोमीटर	1000	
	थर्मोमीटर	1000	
21	पेट्रोलियम के प्रत्येक नमूने की जांच	1000	197"

(30) दूसरी अनुसूची में:-

(क) प्रपत्र I के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“प्रपत्र I

(देखें नियम 17 और 26 और 27(ख))

बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले समुद्री मार्ग से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले जहाज के मास्टर या एजेंट द्वारा या आयातक या उसके एजेंट द्वारा जमीनी या हवाई मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने से पहले की जाने वाली घोषणा

1. जहाज/विमान का नाम
2. आवेदक का नाम
3. पिन कोड के साथ आवेदक का पूरा डाक पता
4. आवेदक का दूरभाष नंबर तथा ई-मेल

गाड़ी का ब्यौरा

पेट्रोलियम उत्पाद का नाम	जहाज या गाड़ी या विमान में कुल मात्रा	भारत में उतारने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा	अभ्युक्तियां
ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद जिनका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है			
अन्य			
ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			
बी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			
सी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			

जहाज के मास्टर या एजेंट / या आयातक के हस्ताक्षर”

(ख) प्रपत्र II के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“प्रपत्र II

(देखें नियम 19 और 26 और 27(ख))

भंडारण स्थल प्रमाणपत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं (जहाज का नाम या गाड़ी या विमान का विवरण) द्वारा (दिनांक, माह, वर्ष) को या उसके आस-पास आने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित खेप को (बंदरगाह का नाम या आयात स्थल या हवाई अड्डे का नाम) पर अथवा भंडारण टैंकों या शेड पर संग्रहीत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका ब्यौरा कॉलम (1) की मद (i) और (ii) में दिया गया है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त कॉलम की मद (iii) में दर्शायी गई यथा उपलब्ध तथा यथा उपलब्ध दर्शायी क्षमता संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त है।

उस परिसर के संबंध में भंडारण लाइसेंस के ब्यौरे जहां आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की उताराई की जाएगी:-

को दिनांक तक नवीकृत/वैध किया जाता है

आयातक या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

पूरा नाम पदनाम के साथ: _____

पत्राचार का पूरा पता: _____

दिनांक:

विवरण

आयात और भंडारण क्षमता का विवरण		ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद	बी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद	सी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद
क	(i) भंडारण टैंकों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण टैंकों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) मौजूदा खेप में उपयोग की जाने वाली क्षमता			
ख	(i) भंडारण शेडों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण शेडों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) मौजूदा खेप में उपयोग की जाने वाली क्षमता			

(ग) फॉर्म VII, भाग ख में, "मान्यता प्राप्त इंजीनियर" शब्दों के लिए, "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) फॉर्म VII के बाद, निम्नलिखित फॉर्म अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्रपत्र VII क

[देखें नियम 14 (क) और 75(3)]

भारत में आईएसओ टैंक कंटेनर आयात करने या भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में पेट्रोलियम श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी का परिवहन करने की अनुमति देने के लिए आवेदन:

1. किस नाम से अनुमति अपेक्षित है

- आवेदक का नाम
- आवेदक का पूरा डाक पता
- दूरभाष संख्या और ई-मेल

2. पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत प्रपत्र-XV में आवेदक के पास मौजूद भंडारण लाइसेंस के ब्यौरे:

- मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा जारी भंडारण लाइसेंस की संख्या और तारीख
- कब तक वैध
- उक्त लाइसेंस के अनुसार भंडारण किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की क्षमता व श्रेणी

3. आईएसओ टैंक कंटेनर का विवरण:

- i. मालिक का कोड और सीरियल नंबर
- ii. निर्माता का क्रमांक
- iii. मॉडल संख्या
- iv. किस देश में विनिर्माण हुआ
- v. विनिर्माण का वर्ष
- vi. अनुमोदित करने वाला देश
- vii. डिज़ाइन अनुमोदन के लिए अधिकृत निकाय
- viii. आईएसओ टैंक कंटेनर और आईएसओ टैंक कंटेनर ढांचे की विशिष्टता
- ix. निर्माता का नाम
- x. अधिकतम स्वीकार्य कार्य दबाव:
- xi. परीक्षण दबाव
- xii. प्रारंभिक दबाव परीक्षण तिथि
- xiii. डिज़ाइन तापमान रेंज
- xiv. निर्माण की सामग्री
- xv. आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता
- xvi. आईएसओ टैंक कंटेनर का बिना लदा हुआ टेअर का वजन
- xvii. पेट्रोलियम उत्पाद का भुगतान भार
- xviii. किसके द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया
- xix. प्रचालन मापदंडों सहित आईएसओ टैंक कंटेनर में फिट की गई सुरक्षा फिटिंग की विशिष्टता
- xx. डिज़ाइन आरेखण
- xxi. माउंटिंग ड्राइंग
- xxii. किससे भरा
- xxiii. पेट्रोलियम का सही रासायनिक नाम और वर्ग
- xxiv. आईएसओ टैंक कंटेनर में भरे गए अथवा भरे जाने वाले पेट्रोलियम की मात्रा किलोलीटर में और प्रतिशत में
- xxv. अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तिथि

4. आईएसओ टैंक कंटेनर माउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन चेसिस का विनिर्माण और मॉडल

- i. पंजीकृत लदान भार/सकल वाहन भार/वाहन चेसिस का सकल संयुक्त भार
- ii. ट्रेलर के साथ वाहन चेसिस का अनलदा वजन

5. आयात बंदरगाह/लदान स्थल का नाम

6. अभ्युक्तियां

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरणों की मेरे/हमारे द्वारा जांच की गई है और वे सही हैं। मैं/हम पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और किसी भी अन्य कानून या नियमों के प्रावधानों के अनुसार आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने का वचन देते हैं, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। मैं/हम समझते हैं कि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई भी उल्लंघन होने पर पहले अपराध के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक बाद के अपराध के लिए साधारण कारावास जो तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं।

आवेदक के आवेदन पर हस्ताक्षर की तारीख

आवेदक का डाक पता:

इस आवेदन के साथ दो सेट में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

1. आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात अनुमति देने के लिए 5000 रुपये अथवा भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 5000 रुपये का जांच शुल्क;
2. फॉर्म XV में जारी वैध लाइसेंस की एक प्रति जिसमें आईएसओ टैंक कंटेनर की संपूर्ण सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता हो;
3. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित आईएसओ टैंक कंटेनर के निर्माता की निरीक्षण और जांच रिपोर्टें;
4. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाइड्रोटैस्ट सर्टिफिकेट और कंटेनर सेफ्टी सर्टिफिकेट (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और जांच की प्रति;
5. आईएसओ टैंक कंटेनर के डिजाइन ब्यौरे दर्शाने वाला डिजाइन ड्राइंग, टैंक की जल क्षमता, इसकी फिटिंग और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विनिर्देशों के ब्यौरे, जो मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित हों;
6. मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए अनुमोदित विस्तृत वाहन माउंटिंग ड्राइंग
7. आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग के स्थल तक आईएसओ टैंक कंटेनर के संचालन और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया।”;

(ड.) प्रपत्र VIII में; "भाग III" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग बी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और "मान्यताप्राप्त इंजीनियर" शब्दों के स्थान पर "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(च) प्रपत्र XIV में, -

(i) शर्त 5 में, "एक अन्य टैंक" शब्दों के बाद, "लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के अलावा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) शर्त 13 में, खंड (क) में, शब्द "पाइपिंग" के बाद, शब्द, "या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित गैर-धातु लचीली पाइपिंग" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) शर्त 13 में, खंड (ख) में, शब्द "पाइपिंग" के बाद, शब्द, "या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित गैर-धातु लचीली पाइपिंग" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) शर्त 21 में, अंक "1981", अंक "2016" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) शर्त 24 के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा;

“25. लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी अतिरिक्त शर्त को लिखित रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में, मोटर वाहन में ईंधन भरने अथवा परिसर की सुरक्षा के अलावा किसी अन्य सुविधा की स्थापना के लिए आवश्यक है।”

(छ) प्रपत्र XIX में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) भारी वाहनों/भारी मशीनों/स्टेशनरी उपकरणों की साइट पर ईंधन भरने के लिए श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पाद";

(ज) प्रपत्र XX (क) में, सक्षम व्यक्ति की योग्यता और अनुभव प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“प्रपत्र XX

[दिखें नियम 2(vi), (xxxiii), 8, 93, 126 और 130]

सक्षम व्यक्ति और तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) की योग्यता और अनुभव:

क्रम सं.	नियम जिसके तहत सक्षमता को मान्यता है	योग्यता और अन्य आवश्यकताएं	उद्देश्य के लिए अनुभव
1	नियम 8, 126 और 130	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता, 2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ	इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए पेट्रोलियम टैंकों की जांच, निर्माण या स्थापना या निरीक्षण या पेट्रोलियम भंडारण प्रतिष्ठानों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
2	प्रपत्र VII और VIII के भाग बी	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता, 2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ	पेट्रोलियम परिवहन टैंकों के परीक्षण और निर्माण या माउंटिंग और पेट्रोलियम टैंक वाहनों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
3	नियम 93	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक या यांत्रिक या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता 2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ	परीक्षण, निर्माण या स्थापना, पेट्रोलियम या तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों या प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

(झ) फॉर्म XX के लिए, नियम 126, 130 या फॉर्म VII या VIII के भाग के तहत एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए ख आवेदन के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

ग. पेट्रोलियम नियमों के तहत तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन।

1. संगठन का नाम और पूरा पता संपर्क नंबर और ई-मेल के साथ:

2. संगठन की स्थिति (मालिकाना फर्म, साझेदारी फर्म, सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी, आदि):

3. (i) संगठन की स्थापना:

(ii) नाम और योग्यता (संगठन के घटक सदस्यों का):

(iii) कालानुक्रमिक क्रम में पेशेवर अनुभव का विवरण:

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	दायित्वों का क्षेत्र

नोट: संगठन के घटक सदस्यों को खतरों की पहचान, प्रक्रिया सुरक्षा, प्रक्रिया नियंत्रण, स्वचालन अथवा उपकरणिकरण, विद्युत ऑडिट अथवा एचएजैडओपी अध्ययन, ऑन साइट आपातकालीन योजना, मात्रात्मक जोखिम विश्लेषण, फैलाव मॉडल, चालू करने से पहले सुरक्षा ऑडिट के संबंध में अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपारीय पाइपलाइनों का हाइड्रो परीक्षण, पेट्रोलियम रिफाइनरियों अथवा पेट्रोसायन परिसर अथवा बंदरगाहों अथवा घाटों अथवा राष्ट्रपारीय पाइपलाइनों या

एमएसआईएचसी नियम, 1989 के अनुसार वर्गीकृत किसी अन्य परिसर का प्रचालन अथवा अनुरक्षण अथवा निरीक्षण। (कृपया अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

4. पेशेवर निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो:
5. क्या संगठन के घटक सदस्यों को किसी कानून के तहत सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि हां, तो विवरण दें)
6. कोई अन्य जानकारी:
7. प्रत्येक घटक सदस्य द्वारा घोषणा (संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जानी है):
8. प्रधान सदस्य द्वारा घोषणा (प्रधान सदस्य द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जानी है):

स्थान:

संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर (नाम एवं पदनाम)

दिनांक :

संस्थान की मुहर

घोषणा के लिए प्रारूप

प्रत्येक घटक सदस्य द्वारा घोषणा:

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। मैं वचन देता हूँ -

(क) कि उपरोक्त संगठन छोड़ने की स्थिति में, मैं तुरंत मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा;

(ख) टीपीआईए के नियमों में निर्धारित सभी शर्तों और मुख्य नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पूरा करना और उनका पालन करना।

प्रधान सदस्य द्वारा घोषणा:

मैं, _____ प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती _____ जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसी के घटक सदस्य हैं। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा

(क) यदि सदस्य हमारी एजेंसी छोड़ता है तो मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा;

(ख) ऊपर उल्लिखितानुसार उनके लिए सभी सुविधाएं प्रदान करूंगा और अच्छी स्थिति में बनाए रखूंगा;

(ग) सुविधाओं में किसी भी बदलाव के बारे में मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा

(31) तीसरी अनुसूची में:-

(क) क्रम संख्या 11 में, शब्द "किन्तु, 25 किलोलीटर और उससे अधिक क्षमता के टैंकों पर फ्यूसिबल वेंट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 15 के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"16. आईएसओ टैंक कंटेनरों के लिए टैंक वाहन:

(1) आईएसओ टैंक कंटेनर, संबद्ध पाइपिंग, फिटिंग और तरल पेट्रोलियम की ढुलाई के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण और मार्किंग के अनुरूप होगा।

(2) आईएसओ टैंक माउंटिंग, अंत संरचना और सभी प्रकार के लोड को वहन करने वाले तत्वों सहित आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क ऐसे कार्गो ले जाने के प्रयोजनों से नहीं हैं, जो समग्र रूप से आईएसओ टैंक कंटेनर को उठाने, उसकी हैंडलिंग,

सुरक्षित रखने और परिवहन के दौरान स्थिर और गतिशील बल चाहिए और जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण के अनुरूप हों।

(3) यदि आईएसओ टैंक कंटेनर की क्षमता 7.5 किलोलीटर से अधिक नहीं है तो पेट्रोलियम के परिवहन के लिए आईएसओ टैंक कंटेनर के अंदर बैफल की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(4) ऐसे आईएसओ टैंक कंटेनर की अधिकतम क्षमता 26 किलो लीटर से अधिक नहीं होगी।

(5) अधिकतम क्षमता आरटीओ द्वारा प्रमाणित सकल वाहन भार के अनुरूप प्रतिबंधित होगी।

(6) 7.5 किलोलीटर से अधिक लेकिन 15 किलोलीटर से कम क्षमता वाले आईएसओ टैंक कंटेनर को 1 बैफल प्लेट प्रदान की जाएगी। 15 किलोलीटर अथवा अधिक लेकिन 22.5 किलोलीटर से कम क्षमता वाले आईएसओ टैंक कंटेनर को 2 बैफल प्लेटें प्रदान की जाएंगी। 22.5 किलोलीटर अथवा उससे अधिक क्षमता वाले आईएसओ टैंक कंटेनर को 3 बैफल प्लेटें प्रदान की जाएंगी।

(7) ऐसे आईएसओ कंटेनर में पेट्रोलियम उत्पाद का अधिकतम पेलोड आईएसओ कंटेनर की अधिकतम क्षमता के 95% तक सीमित होगा।

स्पष्टीकरण: जैसा कि मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया गया है, बैफल प्लेटें धातु की प्लेटें हैं जो क्षैतिज अथवा लंबवत रूप से आईएसओ टैंक के अंदर के हिस्से से जुड़ी अथवा निलंबित होती हैं और नियमित अंतराल पर निश्चित विभाजन अथवा कंपार्टमेंट्स के रूप में नहीं होती हैं और पेट्रोलियम उत्पाद की वृद्धि को रोकने में सक्षम होती हैं।

[फा. सं. एम/11011(21)/1/2021/-ओएमसी-पीएनजी]

सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट:- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 204(अ) दिनांक 13 मार्च, 2002 के माध्यम से प्रधान नियमावली प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(ई) दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

G.S.R. 814(E).— The following draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 and sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), is hereby published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (M&OR), Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi-110001 or sent by email at: js.mkt-png@gov.in.

Draft Rules

1. These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Petroleum Rules, 2002,-

(1) in rule 2, in sub-rule (1),-

(a) after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xiva) “Heavy machineries” means heavy-duty machineries, specially designed for executing construction or agricultural tasks or purely off-highway construction or lifting equipment vehicle designed and adopted for use within the premises, factory, port or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their own power;

(xivb) “Heavy vehicles” means vehicles designed with suitable implements for various field operations including in agriculture, mining, industrial undertaking, irrigation and construction, modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities and is a non-transport, non- goods or non-passenger vehicle;”

Explanation: For the purpose of this clause, “Heavy vehicles” does not include tractor as defined in the Motor Vehicle Act, 1988.

(b) after clause (xvi), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xviva) “ISO Tank container” means a petroleum freight container, mounted on a ISO Tank container framework, secured by twister locks, suitable for carriage of liquid petroleum which may be loaded or unloaded by gravity or pressure discharge, for conveyance by road, rail or sea, including interchange between these forms of transport and conforms to design, specifications and testing, marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller or Controller;

(xvib) “ISO Tank container framework” means tank mountings, end structure and all load bearing elements not present for the purposes of containing cargo, which transmit static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securement and transporting of the tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller or Controller;”;

(c) in clause (xxiv), after the word “purposes”, the words “including non-fuelling facilities installed outside the extent of hazardous areas of service station as defined in the Fourth Schedule;” shall be inserted;

(d) in clause (xxvi), after the word “petroleum”, the words “including ISO Tank container” shall be inserted;

(e) after clause (xxxiii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xxxiiia) “Third Party Inspection Agency (TPIA)” means a professional organisation recognized by Chief Controller or Controller to carry out testing and certification under Petroleum Rules including safety audit of major accident hazards (MAH) premises as defined under the Manufacture, Storage and Import of hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended from time to time and having persons with qualifications and experience as applicable to the competent persons;”

(2) in rule 4, after the sub rule (3), the following shall be inserted namely;

"(4) Nothing in these rules shall apply for import of containers containing petroleum for research and development purpose provided that the packing conforms to International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations as amended from time to time.";

(3) in rule 8, in sub-rule (1), for the words “to have been so repaired”, the words “or TPIA” shall be substituted;

(4) in rule 13,-

(a) in sub-rule (1), for the words “by a crossed bank draft of a nationalised or scheduled bank drawn in favour of the Chief Controller of Explosives, payable at Nagpur or through e-payment”, the words “through e-payment or through Non Tax Receipt Portal” shall be substituted;

(b) sub rule (2) shall be omitted.

(5) after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:-

“14(A). **Restriction on import and transport of ISO tank containers-** (1) No person shall import any ISO tank container filled or intended to be filled with petroleum without obtaining import permission from Chief Controller or Controller.

(2) Any person seeking import permission under sub-rule (1) shall submit to the Chief Controller or Controller -

(a) application in Form VII(A)

(b) a copy of valid licence issued in Form XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;

(c) manufacturer’s inspection, test reports and two copies of design drawings showing design details, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials of construction of the ISO tank container duly endorsed by the competent agency of the country of origin;

(d) a copy of periodic inspection and testing including hydrotest certificate and Container Safety Certificate (CSC) issued by competent agency of the country of origin;

(e) three copies of mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller or Controller

(f) Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end use location

(g) Self declaration for approximate date of return of ISO Tank Container after unloading or its retention in India on permanent basis

(h) Scrutiny fees as specified in Part C of the First Schedule.”;

(3) After fulfilment of above conditions, Chief Controller or Controller shall grant import permission valid for maximum period of three years in the format as prescribed by the Chief Controller.

(6) in rule 19,-

(a) in sub-rule (1), in clause (a), the word “and” shall be omitted;

(b) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Import permission for ISO Tank Container granted by Chief Controller or Controller issued under rule 14(A), in case of import and transport of petroleum in ISO tank container;”;

(7) In Chapter II, after Part III, the following Part shall be inserted namely;

“PART IV IMPORTATION BY AIR

27(A) **Restriction on import by air:** (1) No petroleum shall be imported by air except at the airports authorized for this purpose by the Central Government in consultation with Chief Controller.

(2) Any petroleum not permitted by International Air Transport Authority regulations or by the Director General of Civil Aviation, shall not be imported by air.

(3) Any person holding a license for import and storage of petroleum or his authorized agent shall give declaration before bringing the petroleum into the airport to the Officer in charge of the airport and to the Commissioner of Customs as prescribed giving full particulars of the petroleum intended to be imported.

(4) Proper arrangements shall be made by the importer to take direct delivery of the imported petroleum and remove the same from the airport.

27(B) **Declaration and certificate to be furnished and licence to be produced before importing petroleum by air.-** Every person desiring to import petroleum by air shall furnish to the Commissioner of Customs:-

(a) a declaration in Form I signed by him or his agent;

(b) a certificate of storage accommodation in Form II signed by him or his agent;

- (c) an authenticated copy of the licence held for the importation and storage of such petroleum;
- (d) a landing permit from the Director General of Civil Aviation and;
- (e) a consent letter from respective flight operator for transportation of petroleum by air;

Provided that nothing in this rule shall apply to the importation of petroleum exempted under section 7, 8 and 9 of the Act:

Provided further that the furnishing of licence under clause (c) shall not be necessary for the importation of petroleum class C, in bulk, in quantity exempted under section 7 of the Act.

27(C) Permission of the Commissioner of Customs to unload petroleum. – (1) No petroleum shall be unloaded except with the permission of the Commissioner of Customs.

(2) If the Commissioner of customs, after receiving: -

- (a) the testing officer's report on the Petroleum;
- (b) the certificate in Form II, if required by rule 27(B);
- (c) landing permit from the Director General of Civil Aviation, if required by rule 27(B),
- (d) consent letter from respective flight operator for transportation of petroleum by air.
- (e) the licence, if required by rule 27(B); and after making such further inquiries as he deems necessary, is satisfied that the petroleum can be lawfully imported and that there is suitable accommodation for it, he shall permit it to be unloaded;

(3) If the Commissioner of Customs is satisfied that any petroleum imported is not intended to be stored in India but is intended to be dispatched immediately after unloading to any place outside India, he may waive the requirements of rules 27(B) and by written order permit, subject to such conditions as he may specify, such petroleum to be unloaded for the purpose of immediate dispatch to that place.

(4) Nothing in this rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain petroleum under any other law or rule for the time being in force”.

(8) in rule 32,-

- (a) after the word “vessel”, the words “, ISO tank container” shall be inserted;
- (b) In the Explanation, after the words “Chief Controller” the words “or Controller” shall be inserted.

(9) in rule 70, in sub-rule (1), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing in clause (ii) and (iii) of this rule shall apply to the vehicle with engines of type BS-IV or upgraded version as specified by Road Transport Authority from time to time;”;

(10) in rule 75,-

- (a) in sub-rule (1), after the word “licence”, the words “or permission” shall be inserted;
- (b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) Permission shall be obtained from Chief Controller or Controller for transportation of petroleum Class A or B by road in the ISO tank container. Such permission shall remain valid for a period of one year from the date of issue in the format as prescribed by the Chief Controller;

(4) (a) Person desiring permission under sub-rule (3) shall submit the following to the Chief Controller or Controller:-

- (i) Application in form VII A,
- (ii) a scrutiny fee as specified in Part C of the First Schedule,
- (b) The Chief Controller or Controller, after receipt of the documents under sub-rule (a) and after making such further inquiries as he deems necessary, is satisfied that the vehicle meets with the requirements laid down in these rules, he shall issue a permission for transportation of petroleum Class A or B in ISO Tank Container to the applicant with one copy of drawing duly endorsed.”;

(11) in rule 76, in sub-rule (3), after the words and figures “(22 of 1934)”, the words and figures “and on site refuelling of heavy vehicles/heavy machineries/stationary equipments by vehicles licensed under Form XIX of these rules” shall be inserted;

(12) In rule 77, after the words “re-tested”, the words “by a competent person or TPIA” shall be inserted;

(13) in rule 85, –

(a) in sub-rule (1), for the words “competent responsible person”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted;

(b) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:-

“(5) The ISO tank container framework and/ or the ISO tank container shall be tested after each repair in the manner laid down in the code of fabrication.

(14) in rule 89, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) On receipt of the drawings and fee under sub-rule (2) and after eliciting such additional information as may be required, the Chief Controller shall, if he is satisfied, approve the proposed pipeline subject to such conditions as deemed fit.”;

(15) in rule 90, in sub-rule (1), after the word “steel”, the words “or any other suitable materials approved by the Chief Controller” shall be inserted;

(16) in rule 93, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) The hydrostatic testing of pipeline shall be carried out by a competent person or TPIA.

(2B) The competent person or TPIA shall carry out the test as required under sub-rule (1) and issue a certificate; the certificate so issued shall be submitted to the Chief Controller.”;

(17) in rule 98, for the words “involving cutting or re-welding”, the words “or hot work” shall be substituted;

(18) in rule 106,-

(a) in sub rule (1), after the figure “60079-II”, the words and figure “, IS/IEC 60079-26” shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) a flameproof or pressurised type or powder filled or oil immersed or increased safety or intrinsically safe or encapsulated apparatus conforming to IS/IEC 60079-1, IS/IEC 60079-2, IS/IEC 60079-5, IS/IEC 60079- 6, IS/IEC 60079-7, IS/IEC 60079-11, IS/IEC 60079-18 and any other equivalent standard approved in writing by the Chief Controller, or”;

(c) in sub-rule (3) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) non-sparking apparatus conforming to IS/IEC 60079- 15 and of a type approved in writing by the Chief Controller; or”;

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) The selection of Ex-Electrical Apparatus shall be as per equipment protection level (EPL) as defined in IS 16724:2018/IEC60079-14 or IEC 60079-14 or any other equivalent standard accepted in writing by the Chief Controller.”;

(19) in rule 114, after the word “ person”, the words “ who is an electrical engineer” shall be inserted;

(20) in rule 117, in sub-rule (4), in clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :-

“(ii) Scale of firefighting provided on other areas of new/upcoming installation should be as per the requirement given in OISD Standard 244. Installations already approved by the Chief Controller shall be governed by the OISD Standard 117.”

(21) in rule 120, after sub-clause (5), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“**Explanation:** For the purposes of this rule, it is clarified that with regard to drainage, the Standards as applicable shall be followed.”

(22) in rule 122, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: The Chief Controller or Controller is authorised to permit use of service station for other purposes not directly connected with storage and distribution of petroleum.”

(23) in rule 124, in sub-rule (1), after the words and figure “API:650”, the words and figure “or ASTM D3299-18, BS EN 13121-3, UL1316” shall be inserted;

(24) in rule 126,-

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub –rule (4), for the Proforma of Certificate of Tank Testing, the following Proforma shall be substituted, namely:-

“Proforma of Certificate of Tank Testing

[See Rule 126]

Tank identification No	Diameter in meter	Height or length in meter	Construction standard	Type of tank	Capacity	Class of Petroleum	Test date

In respect of the above tanks, installed within the installation or service station of
(delete words not applicable) (full name of occupier of installation/service station as the case may be)..... at..... (Name of place, police Station, District State) covered by licence No.

(To be filled in the case of amendment of licence or repair of tank)

Certified that I have in accordance with rule 126 of the Petroleum Rules, 2002, tested the tanks described above by water pressure as specified in the design code after they had been installed and secured in the final position/repared and found them free from leak and suitable for the storage of Petroleum (delete words not applicable)

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We, were present at the premises and tested the aforesaid tanks, particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the Petroleum Act, 1934, and the rules framed there under and any other law or rules for the time being in force.

Date

Full signature of the competent person or TPIA issuing the certificate

.....

His recognized qualification.....

His full name and postal address

(25) in rule 130,-

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the words “ or TPIA” shall be inserted;

(b) after sub-rule (1b), in the Proforma Certificate of Safety, after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub-rule (2), in clause (i):-

(i) after the words “competent person”, the words “ or TPIA” shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) The recognition shall be granted for a period of five years and may be renewed for every three years based on the performance report and submission of the medical fitness certificate by a registered medical practitioner recognized by Medical Council of India, till the competent person or TPIA attains the age of 65 years.”

(d) in sub-rule (2), in clause(ii), after the words “competent person”, the words “ or TPIA” shall be inserted;

(26) In rule 144:-

(a) after sub–rule (6), the following sub–rule shall be inserted, namely:

“(6a) There shall be no requirement of “No Objection Certificate” from District Authority under sub–rule (1) for a licence in Form XIV forming a part of the CNG station licensed in Form “G” under Gas Cylinder Rules, 2016 or Auto LPG dispensing station licenced in Form “LS-1B or LNG dispensing station licensed in Form “LS-1C” under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 2016.”

(b) In sub-rule (7), for the Proforma No Objection Certificate, the following Proforma shall be substituted, namely:-

**“Proforma
No Objection Certificate
[See rule 144]**

No.....

Date.....

Subject: No objection certificate

With reference to the application No.....datedsubmitted by.....and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is no objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to Shri/Smt./M/s. _____ address..... for storage of petroleum products in their premises at Survey No...../Gata No...../Khasra No.....PlotNo....., Village.....Taluka/Tehsil.....District.....State..... as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

(1) The following particulars have been considered while issuing this no objection certificate, that-

- (a) comments from the revenue department on the issue whether the possession of the site by the applicant is lawful and there is an authorisation from land owner or lease holder for developing premises under these rules for storage of petroleum products;
- (b) comments from the police department regarding traffic density and impact on traffic;
- (c) comments from the concerned Municipal Corporation/Gram Panchayat/local area development authority as applicable, regarding conformity of proposal to the local area development planning including schools, hospitals and mitigating measure, if any, is provided;
- (d) Comments from the NHAI/ PWD or any other authority concerned regarding road safety, road alignment and road access conformity.
- (e) Comments from fire department regarding accessibility of the site to the fire tenders in case of emergency and preparedness of fire services for combating the emergencies.

Signature of the district authority issuing no objection certificate with his office seal (in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police and for any other place the District Magistrate)

Note.- The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering grant of licence.”.

(27) in rule 146, in sub-rule (2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) a fee as specified in Part C of the FIRST SCHEDULE for scrutiny of the proposed alteration.”

(28) in rule 200,-

- (a) in sub-rule (1), in clause(a), after the word “fax”, the words “and email or other electronic modes of communication” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (2), after the word “communication”, the words “; provided that such a visit by the Chief Controller or his representative shall be made as expeditiously but not later than seven days from the date of notice of such accident” shall be inserted;

(29) in the First Schedule:-

(a) in part B, Fee payable to competent persons for inspection, testing and certification:-

- (i) in Sl. No.5 , after the words "Under rule ", the figures, "8, " shall be inserted;
- (ii) in Sl. No.6 , after the words "Under rule ", the figures, "8, " shall be inserted;

(b) for part C, Fee other than licence fee, the following shall be substituted, namely:-

**“Part C
Fee other than licence fee**

Sl. No.	Items	Fee (Rs.)	Rule
1	For approval of container for petroleum class A or class B	5000	4(2)
1A	Import permission for ISO tank container	5000	14(A)
2	Ports into which petroleum may be imported	10000	16(4)(d)
3	Loading and unloading of bulk petroleum from any ship/ barge at any place	6000	44(2)(d)

4	(i) Approval of tank vehicle or refueller or safety fitting fabrication shop (ii) Renewal of fabrication shop for three years (iii) Approval of tank mounting drawings (iv) Approval of design of safety fittings of tank vehicle or refueller	1500 1500 1000 2000	63(2)
4A	Permission for transportation of ISO tank container within the Indian Territory	5000	75(3)
5	Approval of the design and route of the pipeline	5000	89(2)(ii)
6	Additions and alterations in the pipeline	2000	97(2)(b)
7	Electric apparatus for use in hazardous area	2000	106(4)
8	(i) Recognition of competent person or TPIA (ii) Renewal of recognition of competent person or TPIA for three year	5000 3000	130(2)(i)
9	Prior approval of specifications and plans of premises	2000	131(1)(b)
10	Scrutiny Fee for prior report of storage of Petroleum Class C	2000	140(ii)
11	Prior approval for addition and alteration	2000	146 (2)(ii)
12	Amendment of licence	2000	147(2)
13	Transfer of licence	2000	156(2)(iv)
14	New licence for unexpired portion of original licence	1000	157(3)
15	Duplicate copy of licence	1000	158
16	Authenticated copy of the licence	500	159(2)(a)
17	Approval of refinery	15000	162(3)(ii)
18	Amendments in refinery	5000	164(2) (ii)
19	Certificate of tests in Form VI	2000	195(2)
20	Fee for inspection and comparison.- (1) Test apparatus (2) Comparing a privately owned test apparatus with the standard test apparatus shall be as follows : Test apparatus Barometer Thermometer	1000 1500 1000 1000	196
21	Testing each sample of petroleum.	1000	197"

(30) in the Second Schedule:-

(a) for FORM I, the following shall be substituted, namely:-

“FORM I

(See rules 17, 26 and 27 (B) (a))

Declaration to be made by the Master or agent of ship carrying petroleum by sea before entering port or by the importer or his agent before importing petroleum by land or by air

1. Name of ship / aircraft
2. Name of applicant.....
3. Applicant's full postal address & pin code.....
4. Applicant's telephone No(s) and email.....

PARTICULARS OF THE CARRIAGE

Name of Petroleum	Total quantity in the ship or carriage or aircraft	Quantity of petroleum to be landed in India	Remarks
Petroleum Class A which can be used in an internal combustion engine			
Other Petroleum Class A			
Petroleum Class B			
Petroleum Class C			

Signature of Master or agent of the ship / or importer”

b. for FORM II, the following shall be substituted, namely:-

“FORM II

(See rules 19, 26 and 27 (B) (b))

Certificate of Storage Accommodation

I hereby declare that I propose to store the following consignment of petroleum arriving per(name of ship or particulars of carriage or air craft) in(name of port or place of Import or name of airport) on or about(date, month, year) at the storage tanks or shed, particulars of which are given in item (i) and (ii) of col. (1) of the statement below and I certify that the capacity as shown as available and shown as available in item (iii) of the said column are duly licensed for the storage of petroleum in question.

Particulars of storage license for the premises wherein the imported petroleum shall be unloaded:-

Renewed / valid up to _____

Signature of importer or his agent

Name in full with designation: _____

Complete Correspondence Address: _____

Dated the

Statement

Description of Import and storage capacity		Petroleum Class A	Petroleum Class B	Petroleum Class C
A	(i) Total licensed capacity of storage tanks			
	(ii) Total capacity available in storage tanks.			
	(iii) Capacity to be utilized by present consignment			
B	(i) Total licensed capacity of storage sheds.			
	(ii) Total capacity available in storage sheds.			
	(iii) Capacity to be utilized by present consignment”			

(c) in Form VII, Part B, for the words “recognized engineer”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted.

(d) after Form VII, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM VII A

[See rules 14(A) and 75(3)]

Application for the grant of permission to import ISO Tank Container in India or transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian Territory:

1. Name in which permission is required

- i. Applicant’s name
- ii. Applicant’s full postal address
- iii. Contact Number(s) and E-mail

2. Particulars of storage licence held by the applicant in form-XV under Petroleum Rules 2002:

- (i) Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller
- (ii) License valid up to
- (iii) Licensed Capacity for different Class of petroleum

3. Description of the ISO tank container:

- i. Owner’s code & Serial Number
- ii. Manufacturer’s serial number
- iii. Model Number
- iv. Country of Manufacture
- v. Year of manufacture
- vi. Approval Country

- vii. Authorized body for design approval
- viii. Specification of ISO tank container and ISO tank container framework
- ix. Name of manufacturer
- x. Maximum Allowable Working Pressure:
- xi. Test pressure
- xii. Initial Pressure Test Date
- xiii. Design temperature range
- xiv. Material of Construction
- xv. Water capacity of the ISO Tank container
- xvi. Unladen tare weight of ISO Tank Container
- xvii. Pay load of the petroleum product
- xviii. Inspected and tested by
- xix. Specification of the safety fittings fitted to the ISO tank container including operating parameters
- xx. Design drawing
- xxi. Mounting drawing
- xxii. *Filled with _____
- xxiii. (True chemical name and class of petroleum)
- xxiv. Quantity of Petroleum filled or intended to be filled in the ISO tank container in Kilolitre and also in Percentage.
- xxv. Date of last hydraulic test
4. Make and Model of the vehicle chassis to be used for ISO tank container mounting
 - i. Registered Laden Weight / Gross Vehicle Weight / Gross Combined Weight of the Vehicle Chassis
 - ii. Unladen weight of vehicle chassis with trailer
5. Name of the port of import / place of loading
6. Remarks

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We undertake of transport petroleum in ISO Tank Container particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the petroleum Act, 1934, and the rules framed there under and any other law or rules for the time being in force. I/We understand that any contravention of the said Act and the Rules framed thereunder is punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Date of application Signature of applicant

Postal address of the applicant

Documents required to be submitted with this Application in two sets

1. a scrutiny fee of Rs 5000 for grant of import permission for ISO Tank Container or Rs 5000 for transport of petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian Territory;
2. a copy of valid licence issued in Form XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;
3. manufacturer's inspection and test reports of the ISO tank container duly endorsed by the competent authority of the country of origin;
4. a copy of periodic inspection and testing including hydrotest certificate and Container Safety Certificate (CSC) issued by competent authority of the country of origin;
5. design drawing showing the design details of the ISO tank container, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials used in construction thereof duly endorsed by competent authority of the country of origin;
6. approved detailed vehicle mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller
7. Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end use location.”;

(e) In Form VIII; for the words and figures "PART II", the words "Part B" shall be substituted; and for the words "recognized engineer", the words "competent person or TPIA" shall be substituted.

(f) in Form XIV,-

(i) in condition 5, after the words " another tank ", the words, " except with the previous sanction in writing of the licensing authority " shall be inserted;

(ii) in condition 13, in clause (a), after the words "piping", the words, "or non metallic flexible piping as approved by the Chief Controller" shall be inserted;

(iii) in condition 13, in clause (b), after the words "piping", the words, "or non metallic flexible piping as approved by the Chief Controller" shall be inserted;

(iv) in condition 21, the figure "1981", the figure "2016" shall be substituted;

(v) after condition 24, following clause shall be inserted;

"25. The licensing authority may specify in writing any additional condition which is, in the opinion of such authority, necessary for installation of any other facility other than fuelling of motor vehicle or for the safety of the premises."

(g) in Form XIX, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

"(b) PETROLEUM CLASS B FOR ON SITE REFUELLING OF HEAVY VEHICLES/HEAVY MACHINERIES/STATIONARY EQUIPMENTS.

(h) for the Form XX, A. Qualification and Experience of Competent Person shall be substituted, namely:-

"FORM XX

[See rules 2(vi), (xxxiiiia), 8, 93, 126 and 130]

A. Qualification and Experience of Competent Person and Third Party Inspection Agency (TPIA)::

Sr. No.	Rule under which competency is recognized	Qualification and other requirements	Experience for the Purpose
1	Rules 8, 126 and 130	1. Degree in any branch of engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications, 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of 5 years in testing, fabrication or installation or inspection of petroleum tanks or operation and maintenance of petroleum storage installations for degree in engineering
2	Part B of Forms VII and VIII	1. Degree or diploma in any branch of engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications, 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of 5 years in testing & fabrication or mounting of petroleum transport tanks and operation and maintenance of petroleum tank vehicles
3	Rule 93	1. Degree in chemical or Mechanical or Metallurgy engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination.	Minimum experience of 5 years in testing, fabrication or installation, maintenance of petroleum or liquefied petroleum gases or Natural Gas pipelines."

(i) for the Form XX, after B. Application for Recognition as a Competent Person under Rule 126, 130 or Part of FORM VII or VIII, the following shall be inserted, namely:-

C. Application for recognition as Third Party Inspection Agency (TPIA) under the Petroleum Rules.

1. Name & full address of the organisation with contact number and E-mail:

2. Organisation status (proprietary firm, partnership firm, Government organisation, Public Sector Undertaking, Autonomous body, Company registered under Company Act, etc):
3. (i) Set up of the organisation:
 - (ii) Name & qualification (of constituent members of organisation):
 - (iii) Particulars of professional experience in chronological order :

Name of the Organisation	Period of service	Designation	Area of responsibilities

Note: *The constituent members of organisation shall have experience with regard to identification of hazards, process safety, process controls, automation or instrumentation, electrical audits or HAZOP Study, On Site Emergency Plan, Quantative Risk Analysis, Dispersion Models, Pre Commissioning Safety Audits, hydro testing of cross country pipelines, operations or maintenance or inspection of petroleum refineries or petrochemical complex or ports or jetties or cross country pipelines or any other premises classified as per the MSIHC Rules, 1989. (Please attach documentary evidence of the experience)*

4. Membership, if any, of professional bodies:
5. Whether the constituent members of the organisation has been declared as a competent person under any statute (if so, give details)
6. Any other information:
7. Declaration by each constituent member (to be submitted by each member as per enclosed format):
8. Declaration by Principal Member (to be submitted by the Principal Member as per enclosed format):

Place:

Signature of the Head of the organization

Date:

Name & Designation Seal of the Institution

Format for declaration

Declaration by each constituent member:

I hereby declare that the information furnished above is true. I undertake –

- (a) that in the event of my leaving the aforesaid organisation, I will promptly inform the Chief Controller;
- (b) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the rules for TPIA and instruction issued by the Chief Controller from time to time.

Declaration by Principal Member:

I, _____ certify that Shri / Smt _____ whose particulars are furnished above, is constituent member of the Third Party Inspection Agency. I also undertake that I will

- (a) notify the Chief Controller in case the member leaves our agency;
- (b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;
- (c) Notify the Chief Controller any change in the facilities.

(31) in the Third Schedule:-

- (a) in Sl. No. 11, the words “, but, fusible vents shall not be provided on tanks of capacity 25 Kilolitres and above” shall be omitted;
- (b) after Sl. No. 15 the following shall be inserted, namely:-

“16. Tank vehicle for ISO tank containers:

- (1) ISO Tank container, associated piping, fittings and the framework suitable for carriage of liquid petroleum shall conform to design, specifications and testing and marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller.
- (2) ISO Tank container framework including the ISO tank mountings, end structure and all load bearing elements not present for the purposes of containing cargo, which transmit static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securement and transporting of the ISO tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller.
- (3) There will be no requirement of baffle inside the ISO Tank Container for transportation of petroleum if the capacity of ISO Tank Container is not exceeding 7.5 kiloliters.
- (4) The maximum capacity of ISO tank container shall not exceed 26 kiloliters.
- (5) The maximum capacity shall be restricted corresponding to gross vehicle weight certified by RTO.
- (6) ISO Tank Container having capacity of more than 7.5 kiloliters but less than 15 kiloliters shall be provided with 1 Baffle Plate. ISO Tank Container having capacity of 15 Kiloliters or more but less than 22.5 kiloliters shall be provided with 2 Baffle Plates. ISO Tank Container having capacity of 22.5 Kiloliters or more shall be provided with 3 Baffle Plates.
- (7) The maximum payload of the petroleum product in such ISO container shall be restricted to 95% of maximum capacity of ISO container.

Explanation: As approved by the Chief Controller or Controller, baffle plates are metal plates attached or suspended to the inside portion of an ISO tank either horizontally or vertically and at regular intervals not amounting to fixed partitions or compartments and capable of arresting the surge of petroleum product.

[F. No. M/11011(21)/1/2021/-OMC-PNG]

SUJATA SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended vide notification number G.S.R. 196(E), dated the 17th March, 2021.